अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 108)

[18 सितंबर, 1976]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने के लिए, जहां तक कि ऐसे सम्मिलित या अपवर्जित किए जाने के कारण संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन करना आवश्यक हो जाता है वहां तक ऐसे पुनः समायोजन के लिए और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ---(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 है ।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं---इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---

(क) "जनगणना प्राधिकारी" से भारत का महारजिस्ट्रार और पदेन जनगणना आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ख) "आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "परिसीमन अधिनियम" से परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) अभिप्रेत है ;

(घ) "अंतिम जनगणना" से भारत में 1971 में की गई जनगणना अभिप्रेत है ;

(ङ) "अनुसूचित जातियां आदेश" से संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 अभिप्रेत है ;

(च) "अनुसूचित जनजातियां आदेश" से संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (अंदमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 अभिप्रेत है ;

(छ) "राज्य" से ऐसा राज्य अभिप्रेत है जो अनुसूचित जातियां आदेश और अनुसूचित जनजातियां आदेशों में सम्मिलित हैं और इसके अंतर्गत अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र भी है ।

[2]* * * * * *

---

[1] 27-7-1977---देखिए अधिसूचना सं0 का0 आ0 589(अ), तारीख 27 जुलाई, 1977, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(ii), पृ. 2397 ।

[2] 1988 के अधिनियम सं0 19 की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा निरसित किया गया ।

5. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अवधारण---(1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् यथाशीघ्र प्रत्येक राज्य में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जैसी कि वह अंतिम जनगणना के समय थी, जनगणना प्राधिकारी द्वारा अभिनिश्चित या प्राक्कलित की जाएगी ।

(2) जहां धारा 3 या धारा 4 द्वारा किए गए संशोधनों के कारण,---

(क) किसी राज्य में किसी परिक्षेत्र में, जो उक्त धाराओं में निर्दिष्ट आदेशों की अनुसूचियों के भागों में से किसी भाग में किसी जाति या जनजाति के संबंध में विनिर्दिष्ट है, इसलिए परिवर्तन किया जाता है कि ऐसी जाति या जनजाति के समूह में बड़ा क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जा सके, वहां जनगणना प्राधिकारी अंतिम जनगणना में और किसी पूर्वतन जनगणना में जिसमें वर्धित क्षेत्र के संबंध में उस जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े अभिनिश्चित किए गए थे, यथा अभिनिश्चित उस जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा और वह ऐसे आंकड़ों में उस अनुपात से जिसमें उस राज्य की या, यथास्थिति, खंड, जिले, तालुक, तहसील, पुलिस थाने, विकास खंड या अन्य प्रादेशिक खंड की साधारण जनसंख्या में जिसके संबंध में ऐसी जाति या जनजाति उक्त संशोधनों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है, पूर्वोक्त जनगणना और अंतिम जनगणना के बीच वृद्धि या कमी हुई है, वृद्धि या कमी करके उस जाति या जनजाति की जनसंख्या का जो 1 अप्रैल, 1971 को थी, अवधारण करेगा ;

(ख) किसी जाति या जनजाति में जो किसी राज्य या उसके भाग के संबंध में कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों समझी गई हैं, इसलिए परिवर्तन किया जाता है कि ऐसी जाति या जनजाति को ही उस राज्य या उसके भाग के संबंध में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सके, वहां जनगणना प्राधिकारी अंतिम जनगणना में यथा अभिनिश्चित ऐसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा :

परंतु जनगणना प्राधिकारी के लिए किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की जनसंख्या का जो 1 अप्रैल, 1971 को थी, अवधारण करना उस दशा में आवश्यक नहीं होगा जिसमें उस जाति या जनजाति की जनसंख्या अंतिम जनगणना में और पूर्वतन जनगणनाओं में से किसी जनगणना में अभिनिश्चित नहीं की गई थी और उस प्राधिकारी की राय में संख्या में कम है ।

स्पष्टीकरण---जहां खंड (क) में निर्दिष्ट किसी वर्धित क्षेत्र के संबंध में किसी जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े एक से अधिक पूर्वतन जनगणनाओं में अभिनिश्चित किए गए थे वहां जनगणना प्राधिकारी, उस खंड के प्रयोजनों के लिए, पूर्वतन जनगणना में यथा अभिनिश्चित ऐसी जाति या जनजाति की ऐसी जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा जो समय की दृष्टि से अंतिम जनगणना के निकटतम है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन अभिनिश्चित या अवधारित जनसंख्या के आंकड़े जनगणना प्राधिकारी द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे ।

(4) इस प्रकार अधिसूचित जनसंख्या के आंकड़े अंतिम जनगणना के समय यथाविनिश्चित सुसंगत जनसंख्या के आंकड़े माने जाएंगे और पूर्व अप्रकाशित आंकड़ों को अतिष्ठित करेंगे; और इस प्रकार अधिसूचित आंकड़े अंतिम आंकड़े होंगे और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे ।

6. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों का पुनः समायोजन---(1) धारा 5 के अधीन किसी राज्य के संबंध में जनसंख्या के आंकड़ों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात् आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह, संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 और 332 के, परिसीमन अधिनियम की धारा 8 के और इस अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में (ऐसे आदेश में दिए गए किसी निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में परिवर्तन किए बिना), ऐसे संशोधन करे जो उस राज्य की, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों को या अनुसूचित जनजातियों को ऐसे आदेश में जो आयोग द्वारा इसके अधीन संशोधित किया जाए, यथा विनिर्दिष्ट आरक्षित स्थानों की संख्या के आधार पर समुचित प्रतिनिधित्व देने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के बारे में यह समझा जाएगा कि तदनुसार उनका संशोधन किया गया है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई संशोधन करने में, आयोग, जहां तक आवश्यक हो, परिसीमन अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों को ध्यान में रखेगा ।

(3) आयोग---

(क) संशोधनों के लिए अपनी प्रस्थापनाओं को भारत के राजपत्र में और संबद्ध राज्य के राजपत्र में, और ऐसी अन्य रीति से जो वह उचित समझे, प्रकाशित करेगा ;

(ख) वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको या जिसके पश्चात् वह उन प्रस्थापनाओं पर आगे विचार करेगा ;

(ग) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हो गए हैं ; और

(घ) तत्पश्चात् आदेश में आवश्यक संशोधन करेगा ।

7. आयोग की प्रक्रिया और शास्तियां----(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और उसे निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :----

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना ;

(ख) किसी दस्तावेज के पेश किए जाने की अपेक्षा करना ; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना ।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसी बातों और विषयों के बारे में कोई जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी जो आयोग की राय में, आयोग के विचाराधीन किसी विषय के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत है ।

(3) आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण---साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए, आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी ।

8. संशोधनों का प्रकाशन और उनके प्रवर्तन की तारीखें---(1) आयोग संसद् और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में अपने द्वारा किए गए संशोधनों को भारत के राजपत्र में और संबद्ध राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित कराएगा ।

(2) भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, प्रत्येक संशोधन को विधि का बल होगा और वह किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(3) भारत के राजपत्र में ऐसे प्रकाशन के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसा प्रत्येक संशोधन लोक सभा और संबद्ध राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखा जाएगा ।

(4) उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में किन्हीं प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को ऐसा पुनःसमायोजन, जो संसद् और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में आयोग द्वारा किए गए, किन्हीं संशोधनों के कारण आवश्यक हो गया है और इस प्रकार संशोधित ऐसे आदेश में उपबंधित है, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के ऐसे प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में लागू होगा जो ऐसे संशोधनों के उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् किया जाए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) में अंतर्विष्ट प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंधों को अतिष्ठित करते हुए इस प्रकार लागू होगा ।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं की कोई भी बात लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में उस प्रतिनिधित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा किए गए संशोधनों के उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को अस्तित्व में हैं ।

9. निर्वाचन आयोग की कतिपय अन्य शक्तियां---(1) आयोग, भारत के राजपत्र में और संबद्ध राज्य के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर,---

(क) इस अधिनियम के अधीन यथा संशोधित संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में किसी मुद्रण संबंधी भूल को या किसी ऐसी गलती को जो अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण हुई हो, ठीक कर सकता है ; और

(ख) जहां उक्त आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी प्रादेशिक खंड की सीमाओं में या उसके नाम में परिवर्तन किया जाता है, वहां उस आदेश को अद्यतन बनाने के लिए ऐसे संशोधन कर सकता है जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, लोक सभा और संबद्ध राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

10. अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किए गए कार्यों का विधिमान्यकरण---इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अवधारण के लिए जनगणना प्राधिकारी द्वारा, या निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनः समायोजन के प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा, की गई सभी बातें और कार्यवाहियां जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं, इन उपबंधों के अधीन इस प्रकार की गई समझी जाएंगी मानो ऐसे उपबंध, ऐसी बातें या कार्यवाही किए जाने के समय प्रवृत्त थे ।

[1]* * * * *

---

[1] 1988 के अधिनियम सं0 19 की धारा 2 और प्रथम अनुसूची द्वारा निरसित किया गया ।